

an>

Title: Need to ensure payment of arrears to sugarcane farmers by mill owners in Shamli district, Uttar Pradesh.

श्री हुकुम सिंह (कैयना): विगत दो वर्षों से देश का गन्ना कृषक आर्थिक कठिनाई से गुजर रहा है। मुख्यतः उ.प्र. के कई जनपद ऐसे हैं जहां पर चीनी मिल मालिकों ने दो पियाई सत्रों का पूर्ण भुगतान नहीं किया है। मेरे लोकसभा क्षेत्र कैयना उ.प्र. के शामली जनपद में तीन चीनी मिलें हैं। पियाई सत्र 2015-16 का अभी तक पूर्ण भुगतान नहीं हुआ है। किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। शामली जनपद की ही उन चीनी मिलों में विगत दो महीने से हजारों किसान भुगतान के लिए घरने पर बैठे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन ने यद्यपि मिल के चीनी गोदाम को अपने कब्जे में लेकर चीनी को विक्रय करके भुगतान करने का प्रयास किया परन्तु मिल मालिक और संबंधित बैंक द्वारा न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया। कृषक अपनी लड़ाई के बावजूद भी भुगतान से वंचित हैं।

मेरी सरकार से मांग है कि कानून में संशोधन करके सुनिश्चित करें कि मिल मालिकों की चीनी पर पहला चार्ज बैंक का नहीं किसानों का हो तथा प्रभावी कदम उठाकर अदिलम्ब गन्ना कृषकों को भुगतान कराया जाए।